<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 04/2022 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री कमलकान्त पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल बंसल,
एफबीओ मैसर्सः—विकास किराना स्टोर नया बस स्टैण्ड, मण्डावर, जिला दौसा।
2. श्रीमति जितेन्द्र बाबू लवानिया पुत्र श्री हरिबाबू लवानिया,
एफबीओ मैसर्सः—श्री साई मसाले, आर. के. मार्बल के पीछे सर्कुलर रोड भरतपुर।

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 29.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.8.2021 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्सः— विकास किराना स्टोर नया बस स्टैण्ड, मण्डावर, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री कमलकान्त पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल बंसल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 12 मूल पाउच 500 ग्राम वजनी हल्दी पाउडर(श्री साई) आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पाउच 500 ग्राम वजनी हल्दी पाउडर(श्री साई) खरीदा। जिसकी कीमत 320 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अ[illegible] खरीदशुदा हल्दी पाउडर(श्री साई) के चार पैकिटो को अलग—अलग चार डिब्बों में रखकर [illegible] तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के [illegible] की पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज [illegible] डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप [illegible] ए.जी.—2682 गोंद से [illegible] पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को [illegible]—चार जगह से चपडी [illegible] मोहर कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ. बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.8.2021 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.8.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का एक चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.8.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./531/एक्ट/2021/708 दिनांक 6.9.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./531/एक्ट/2021/708 दिनांक 6.9.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) का जो नमूना लिया गया था। उक्त नमूने के लेबल पर **BEST BEFORE 8 MONTHS FROM <u>THE DATE OF</u> PACKAGING** प्रिन्ट किया हुआ था, जिसके स्थान पर **BEST BEFORE 8 MONTHS FORM PACKAGING/MANUFACTURE** अंकित होना चाहिये था। नमूने के लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) के लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे ताकि अप्रार्थी अभियुक्त भविष्य में ऐसी गलती न दोहरा सके।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) जांच में मानक स्तर का पाया गया है। मेरे द्वारा बिल द्वारा क्रय करके [illegible] है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 ने जुर्माने से मुक्त करने का निवेदन किया। अप्रार्थी [illegible] संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे द्वारा [illegible] पाउडर(श्री साई) का नमूना मानक स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड केवल [illegible] OF की वजह से किया गया है। जिसकी हमे जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलते ही उक्त कमी को सही करवा दिया गया है। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का श्रम करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./531/एक्ट/2021/708 दिनांक 6.9.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर **(श्री साई) का नमूना लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है।** अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(श्री साई) का आमजन को विक्रय किया है एवं संशोधित लेबल की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर(श्री साई) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री कमलकान्त पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल बंसल, एफबीओ मैसर्सः–विकास किराना स्टोर नया बस स्टैण्ड, मण्डावर, **जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री जितेन्द्र बाबू लवानिया पुत्र श्री हरिबाबू लवानिया एफबीओ मैसर्सः–श्री साई मसाले,** आर. के. मार्बल के पीछे सर्कुलर रोड भरतपुर पर 8000/–(अक्षरे आठ हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.06.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA**/2022 दिनांकः– 29.06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कमलकान्त पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल बंसल,
   एफबीओ मैसर्सः–विकास किराना स्टोर नया बस स्टैण्ड, मण्डावर, जिला दौसा।
4. श्रीमति जितेन्द्र बाबू लवानिया पुत्र श्री हरिबाबू लवानिया,
   एफबीओ मैसर्सः–श्री साई मसाले, आर. के. मार्बल के पीछे सर्कुलर रोड भरतपुर।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested